

पुलिस हस्तक नियम 1076(ग) में वर्दी एवं साज-सज्जा के कय के विषय में यह निर्देश है कि निविदाओं के अनुमोदन के पश्चात् सभी चुने हुए अद्दों के एक-एक नमूने आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक, प्रोविजन) की उपस्थिति में मुहरबन्द कर दिये जायें। आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) इन्हें अपने कायांनद में रखेंगे। जिन वस्तुओं की खरीद सीधे जिलों के द्वारा ठिकेदारों से की जानी है (प्रोविजन) इन्हें अपने कायांनद में रखेंगे। जिन वस्तुओं के नमूने पर्याप्त संख्या में ठिकेदार देंगे। उन्हें भी समरूप ढंग से मुहरबन्द किया जायगा। नमूनों का एक सेट आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के कायांनद में न्डु निया जायगा और शेष को जिलों/इकाईयों को वितरित कर दिया जायगा।

इन नमूनों को बढ़ देने वाले अद्दों से मिलान के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना है। ऐसे प्राप्त अद्दों, जिन्हें केन्द्रीय भंडार में ग्राप्त होना है, की तुलना नमूनों से भंडार के प्रभारी पदाधिकारी तथा आरक्षी महानिरीक्षक (सम्प्रति महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक) द्वारा नामजद दो अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जायगा। महानिदेशक एवं अन्डु न्डु महानिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त विधि से गठित समिति प्राप्त अद्दों की जांच भली भांति उपलब्ध नमूनों में दुर्जन कर करें। यह जांच पुलिस हस्तक नियम 1044 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप होनी है।

वर्तमान में जिला न्डु न्डु पुलिस की वाहनियों को आपूर्ति किये जाने वाले वस्त्र एवं उपस्कर केन्द्रीय स्तर पर खरीद जाते हैं। इन निविदाओं के अनुमोदनोपरान्त चुनी हुई अद्दों का एक-एक नमूना आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा न्डु न्डु न्डु महानिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त विधि से गठित समिति प्राप्त अद्दों की जांच जायगा। महानिदेशक एवं अन्डु न्डु महानिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त विधि से गठित समिति प्राप्त अद्दों की जांच जायगा।

इसलिए किया जाता है कि इन संख्या अधिक होने के कारण सभी आपूर्ति सामानों को एक-एक करके देखना संभव नहीं हो पाएगा। इन स्थिति में ठिकेदारों द्वारा आपूर्ति सामानों कुछ धटिया किस्म के सामान दिये जाने की संभावना बनी रहने वाली है। सामानों को केन्द्रीय वस्त्र भंडार से जिला/इकाईयों के द्वारा संकलन के पश्चात् रास्ते में बदलने की संभावना छन्द नहीं है। इस संभावना से निपटने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :-

1. पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुसार आपूर्ति आदेश के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति के पश्चात् केन्द्रीय भंडार के प्रभारी सामान का निरीक्षण करेंगे। यह निरीक्षण यद्यपि उन्हें पुनः उक्त नियम के अनुसार समिति द्वारा के रूप में भी करना है, तथापि यह आदेश दिया जाता है कि वे पहले अपने स्तर पर संख्या एवं गुणवत्ता दोनों का आकलन आपूर्ति सामान के संबंध में करने के पश्चात् आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा इन समिति से केन्द्रीय निरीक्षण समिति को उक्त नियम के अनुसार निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे।

पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुरूप केन्द्रीय निरीक्षण समिति समानों का निरीक्षण करेगी।

यहां यह बता दें कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर को अपने स्तर पर निरीक्षण समिति को आमंत्रित करने के पूर्व इन समान एवं गुणवत्ता दोनों के प्रति केवल आश्वस्त होने का दियत्व दिया गया है न की उसे अस्वीकृत करने वाले वे ऐसा महसूस करते हैं कि आपूर्ति समान गुणवत्ता अथवा संख्या में कम है और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इन समिति को आमंत्रण पत्र में इस बात का उल्लेख करते हुए ०३०००००० (प्रोविजन) को सुचित छन्द दें। केन्द्रीय निरीक्षण समिति जब निरीक्षण करेगी तो इस बात का ध्यान रखेगी। यह भी आदेश दिया जा रहा है कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर केन्द्रीय निरीक्षण समिति का एक सदस्य रहेंगे।

केन्द्रीय निरीक्षण समिति आपूर्ति सामानों में से निविदा के निर्णय के समय आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के द्वारा इन स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार उतनी हीं संख्या में और नमूने बनाएगी जितने जिला एवं इकाई द्वारा इन नमूनों पर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।

2. मद्दों के अन्डेन के उपरान्त सभी जिलों/इकाईयों से आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय वस्त्र भंडार से सामानों का संकलन आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक समादेष्टा एवं परिचारी प्रवर, वस्त्र प्रभारी/गृह पाल ००००० (स०) के द्वारा ही किया जाय। यदि सम्बन्धित जिलों/इकाईयों के उपाठ तथा परिचारी प्रवर/प्रभारी चरित्री, गृह पाल ००००० (स०) नहीं आते तो मद्दों की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार से नहीं की जायेगी।

3. जिला इकाई आपूर्ति सामानों के साथ-साथ एक नमूना जिसपर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा उसे अपने साथ ले जायें। केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना में उपलब्ध नमूनों से मिलान कर ही सामान ले जाने वाले पदाधिकारी सामानों का संकलन करेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत चालान पर अंकित करेंगे कि 'सामानों का मिलान नमूनों से कर लिया गया है तथा सामान नमूनों के अनुरूप है और सही हालत में आवंटित संख्या के अनुरूप उन्होंने प्राप्त किया।'

१. विद्या उकड़ियों के आठ अर्घां ममादार्श पानाव वस्तु एवं उपलब्ध सामाजिक गठन करें जो केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना में मंकालित मामानों का निर्माण करें। उर्ध्वा कम में वे प्राप्त मामानों की तुलना उपलब्ध नमूनों में करें। उनके निर्गत के पश्चात् ही मंकालित मामान जिलों/उकड़ियों के भंडार में रखा जायगा। आग्नी अधीक्षक/ममादार्श/प्राचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय को समर्पित करें कि मंकालित ममान नमूनों के अनुसूच एवं उल्लेखित मात्रा में भर्ती भर्ती पाया गया।

*(३५६५) १४-१
११/१२००*
(आग्नी आर्थ प्रमाद)

महानिदेशक एवं आग्नी महानिर्गतक,
विहार, पटना।

ज्ञापाक..... ५७/आपूर्ति दिनांक ०९-०१-२००१

७०-१-७९-२०००

महानिदेशक एवं आग्नी महानिर्गतक का कार्यालय, विहार, पटना।

- प्रतिलिपि:-
१. गृह सचिव, विहार, पटना को मूचनार्थ प्रेपित।
 २. आग्नी महानिदेशक, मैन्य पूलिम, विहार, पटना को मूचनार्थ प्रेपित।
 ३. मभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक को मूचनार्थ प्रेपित।
 ४. प्रक्षेत्रीय महानिर्गतक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा बोरो मूचनार्थ प्रेपित।
 ५. आग्नी महानिर्गतक, झेलव को मूचनार्थ प्रेपित।
 ६. आग्नी महानिर्गतक, मैन्य पूलिम, उल्लग क्षेत्र पटना को मूचनार्थ प्रेपित।
 ७. आग्नी महानिर्गतक (वितंतु) को मूचनार्थ प्रेपित।
 ८. मभी क्षेत्रीय मंडलीय/रेलवे डॉमोनियो को मूचनार्थ प्रेपित।
 ९. मभी आग्नी अधीक्षक/ममादार्श को मूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेपित।
 १०. प्राचार्य पाठ्यार्थी साथनगण को मूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेपित।
 ११. आग्नी उपाधीक्षक, परिवहन मुख्यालय/ परिचारी प्रवार, केन्द्रीय आयद भंडार/ गक्षित पदाधिकार मोनियो एवं आमोनियो कार्यालय, विहार, पटना को मूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
 १२. आग्नी उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना को मूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेपित।
- ✓ प्रणाली पदाधिकारी, पा। प्रणाली को मूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।*

*(३५६५) १४-१
११/१२००*
महानिदेशक एवं आग्नी महानिर्गतक,
विहार, पटना।